


# दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण



स्थापना अनुभाग  
सामान्य प्रशासन विभाग  
प्रशासनिक कार्यालय भवन  
गाँधीधाम

सं. : जीए/पीएस/3519/2022/प्रापत्र

दिनांक : 22-08-2024

## कार्यालय आदेश

श्री नरेश आर.भंभानी, कनिष्ठ लिपिक/हिंदी टंकक, सामान्य प्रशासन विभाग को वरिष्ठ लिपिक के पद पर रू.27400-70500 के वेतनमान में, तत्काल प्रभाव से, नियमित आधार पर, पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें वित्त विभाग में तैनात किया जाता है।

2. उनका वेतन लागू सामान्य नियमों के तहत, मंत्रालय के पत्र सं.:सी-13019/33/2020-पीई-11 दिनांक 01 जुलाई 2022 के माध्यम से प्राप्त तत्संबंधी निर्देश, यदि लागू हो, के अधीन तय किया जाएगा।
  3. वे दीनदयाल पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम 2009 के अधीन रहेंगे।
  4. उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें, लागू सुसंगत नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी।
  5. उन्हें मूल नियमावली 22(1)(क) (1)में तथा उपबंधित वेतन के नियतन से संबंधित अपना विकल्प इस आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर देना होगा। अगर एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत उन्हें वेतन नियतन का लाभ मिल चुका है तो उस परिस्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी।
  6. उन्हें सात (7) दिनों के अन्दर तैनाती के स्थान पर हाजिर होना होगा अन्यथा उनकी पदोन्नति स्वतः रद्द मानी जाएगी तथा वे एक साल तक पदोन्नति के हकदार नहीं रहेंगे।
  7. उपरोक्त पदोन्नति को स्वीकार न करने पर तथा लिखित में उपयुक्त कारण न देने पर इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.12.2011 के परिपत्र सं. : जीए/पीएस/9332(पार्ट)/329 और दिनांक 19.5.2014 के परिपत्र सं. : जीए/पीएस/9350/946 के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया (1) से (5) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (प्राधिकार : ई-फाइल सं.1359 में टिप्पणी सं.41 पर दिनांक 22-08-2024 को सचिव महोदय के अनुमोदन से)

वरिष्ठ उप सचिव  
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रति:

श्री नरेश आर. भंभानी,  
कनिष्ठ लिपिक/हिंदी टंकक, का.सं.1678,  
सामान्य प्रशासन विभाग

(उप सचिव के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

- (1) वि.स.एवं मु.ले.अ./उप सचिव - सूचना एवं ड्यूटी रिपोर्ट भेजने आदि से संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु
- (2) लेखा अधिकारी (देय), गाँधीधाम
- (3) टीम लीडर (आईटी) - डीपीटी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
- (4) सा.प्र.विभाग - संबंधित लिपिक/डीपीसी फाइल/मास्टर फाइल/एचसीएम प्रकोष्ठ
- (5) उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / आवासीय लेखापरीक्षा अधिकारी - सूचनार्थ